तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6213/2005/बाडमेर** **गिरधारीराम बनाम पनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री चिरंजीलाल दायमा,सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री दूनीचंद़, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.3.19

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के तहत, उपखण्ड अधिकारी, गुडामलानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–10–2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, गुडामलानी के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 88, 188 के तहत पेश किया कि ग्राम बाछडाउ तहसील चोहटन में स्थित आराजी खसरा नंबर 464 रकबा 151 बीघा मु0 तुलछी बेवा ईशरा के खातेदार की आराजीयात थी । उक्त आराजीयात को मु0 तुलछी ने वादीगण के पिता हुक्माराम एवं प्रतिवादी के पिता शिवजीराम को हस्तांतरित कर दी । बंदोबस्त के दौरान उक्त बेचाननामें के आधार पर प्रतिवादी के पिता शिवजीराम ने विवादित आराजी अपने अकेले के नाम से दर्ज करवा ली जिसका ज्ञान वादीगण के पिता अपने जीवनकाल में नहीं हो पाया एव ंना ही वादीगण को था । विवादग्रस्त आराजी पर आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है । दौराने वाद प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के तहत पक्षकारों के मध्य पूर्व वाद संख्या 367/94 में प्रतिवादी पन्ना के बयान को दावे में रेकार्ड पर लिए जाने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6213/2005/बाडमेर** **गिरधारीराम बनाम पनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हेतु पेश किया जिसका प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22–10–2005 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी को अस्वीकार कर दिया तथा साथ ही प्रार्थीगण की साक्ष्य भी बंद कर दी । दिनांक 22–10–2005 को प्रार्थीगण के अभिभाषक आवश्यक कार्य से मुख्यालय से बाहर थे पेशी पर स्वयं प्रार्थी गिरधारी उपस्थित हुआ था जिसे आगामी पेशी प्रार्थना–पत्र पर बहस हेतु दिनांक 19–11–05 की पेशी दी गई थी । उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 22–10–05 में कांट छांट की गई जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि प्रार्थीगण दिनांक 22–10–05 को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । दिनांक 22–10–05 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का निस्तारण किया जाना था । उक्त दिनांक को प्रार्थीगण की साक्ष्य नहीं ली जा सकती थी इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण की साक्ष्य बंद कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है । अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी का आदेश निरस्त किया जावे । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अंतिम स्टेज पर भी दस्तोवज को रिकार्ड पर लिया जा सकता है । विचारण न्यायालय द्वारा वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 के प्रार्थना–पत्र को बिना किसी विवेचन के निर्णय करने के साथ ही साक्ष्य को भी बंद कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6213/2005/बाडमेर** **गिरधारीराम बनाम पनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है अतः भारी कॉस्ट पर एक माह का समय दिया जावे । हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22–10–05 में यह अंकित किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अनावश्यक रूप से लम्बा करने हेतु पेश किया गया है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया वादी द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं की गई । अतः वादी की साक्ष्य बंद की जाती है । न्यायालय की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23–3–05 को वादी के द्वारा साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया है । पुनः दिनांक 7–6–05 को साक्ष्य पेश करने का पुनः मौका चाहा है । दिनांक 24–9–05 को वादी के साक्ष्य गवाह उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य नहीं हो सकती है । इसी दिनांक को एक प्रार्थना–पत्र दस्तावेज को रेकार्ड पर लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर बहस हेतु आगामी पेशी दिनांक 19–10–05 नियत की गई थी। दिनांक 10–10–2005 को भी वादी की साक्ष्य वादी के गवाह उपस्थित नहीं होने से अवसर चाहा गया है जिससे पत्रावली वादी की साक्ष्य एवं प्रार्थना–पत्र पर बहस हेतु दिनांक 22–10–05 की पेशी नियत की गई । वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 में यह अंकित किया है कि वाद संख्या 367/94 पन्ना बनाम गिरधारी में बयान अदालत हाजा में उपस्थित होकर शपथपूर्वक बयान दिए गए थे । वह पत्रावली राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । मौजूदा प्रकरण को वादी पन्ना के बयानो को न्याय हित में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है । पत्रावली राजस्व मण्डल में होने से तनकियात कायम होने से पूर्व उपलब्ध नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6213/2005/बाडमेर** **गिरधारीराम बनाम पनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होने से पेश नहीं किए जा सके अतः अब पेश किए जा रहे हैं अतः इन दस्तावेज को न्यायहित में रेकार्ड पर लिया जावे । विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उस आदेश में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की किसी प्रकार की विस्तृत विवेचना नहीं की गई है केवल मात्र वाद को अनावश्यक रूप से लम्बा करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश होना मानकर के खारिज किया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु यह भी सही है कि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्र्याप्त अवसर दिए गए है। साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी वादी की साक्ष्य को बंद किया गया है । अप्रार्थी को अनावश्यक रूप से ही राजस्व मण्डल में पैरवी करनी पडी है । अतः उसकी क्षतिपूर्ति करायी जानी आवश्यक है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को 3000/– रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 22–10–2005 को निरस्त करते हुए वादी की साक्ष्य करवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर के उचित निर्णय पारित करें । कॉस्ट की राशि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अप्रार्थी को अदा करेगा। उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय मे ं दिनांक 22–4–19 को उपस्थित हों । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । (चिरंजी लाल दायमा) सदस्य	